



1:- राम बहादुर सिंह चौहान तनय श्री युवराज सिंह चौहान निवासी ध्वारो :सतना

श्री वालाप्रसाद गायक
श्री 0 झाय शीवा
केमफ 4C 5050

तहसील रघुराजनगर बृत सतना एक जिला सतना मध्य प्रदेश ।

2:- कुमारी आरतो सिंह तनया श्री राम बहादुर सिंह चौहान निवासी ध्वारो

(सतना) तहसील रघुराजनगर बृत सतना एक जिला सतना मध्य प्रदेश ।

3:- सौरभ सिंह तनय श्री राम बहादुर सिंह चौहान निवासी ध्वारो :सतना :

पतौरा हाउस के सामने मकान नं. 3 तहसील रघुराजनगर बृत सतना एक जिला सतना

मध्य प्रदेश । निगराकारान

बिरुद्ध

1:- श्री बृजकिशोर सिंह तनय श्री स्व. यशवंत सिंह निवासी हरदोखर तहसील नागौर
बृत अटरा जिला सतना मध्य प्रदेश ।

2:- स्टेट आफ एम. पी. जरिए जिलाध्यक्ष सतना, जिला सतना मध्य प्रदेश के
गैर निगराकारान

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 सह पठित धारा 32 म.प्र. 1959

निगरानी बिरुद्ध आदेश दिनांक 30-5-2001 प्र.क्र. 2133
99-2000 पारित द्वारा आयुक्त महोदय रोवा संभाग
: श्री बी.एस. श्रीवास्तव :

मान्यवर,

निगराकारान की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत है :-

प्रकरण के मुख्य तथ्य :- प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है, कि निगराकार क्रमांक 1

की पत्नी व निगराकारान क्रमांक 2 एवं 3 की स्व. मां शकुन्ता सिंह द्वारा एक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहद राजस्व नि

बृत अटरा तहसील नागौर जिला सतना म.प्र. के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत

किया कि आराजी क्रमांक 51 रकवा 8 बोघा 12 बिश्वा, आराजी क्रमांक 52

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R 1318-I/2001 जिला सतना

राम वेदाहुत आदि / वृज किशोर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-6-16	<p>आवेदन एवं आवेदन अधि- की और से केन्द्र उपस्थित नहीं। तीन बार आवाज लगावाई गई। उभय पक्ष केन्द्र उपस्थित नहीं। प्रतीत होता है कि पक्षी का प्रकृषा चलाने में रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकृषा समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सतना</p>	